न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी — डॉ अंजली राजोरिया I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
03/2020	2020/00025	01.07.2020	19.05.2025

1. श्री मुबारिक पिता रहीमबक्ष उम्र 49 वर्ष निवासी नाराणी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:— प्रार्थी

—: बनाम :—

1. श्री इकबाल पिता मोहम्मद हुसैन जाति मुस्लमान उम्र व्यस्क राजकीय अध्यापक पंचायत समिति धरियावद मूल नाराणी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्रीमान भू–धारी तहसीलदार छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़

:— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू–राजस्व आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन मिशल संख्या 230/1989 आदेश दिनांक 30.06.1989 के तहत्

उपस्थिति :—
1. श्री विशाल कुमार सालवी (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री धर्म चन्द्र नागौरी (अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1)
3. पैरोकार सरकार (अप्रार्थी संख्या–2)

जिला कलक्टर प्रतापगढ़ ★ जिला कलक्टर प्रतापगढ़ ★

—: आदेश :— दिनांक 19.05.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू–राजस्व आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन मिशल संख्या 230/1989 आदेश दिनांक 30.06.1989 के तहत् प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मलावदा की साबीक आराजी संख्या 639 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी हक हिस्से अनुसार निजी खातेदारी भूमि थी। जिसके वक्त सेटेलमेन्ट नवीन खसरा संख्या 820 रकबा 0.26 हैक्टर तथा आराजी संख्या 820/1072 रकबा 0.35 हैक्टर कुल किता 2 सम्पूर्ण रकबा 0.61 हैक्टर बने है तथा उक्त खसरे मौके पर एक चक रूप में उपलब्ध होकर प्रार्थी/निगरानीकार का पीढ़ी दर पीढ़ी साबिक खसरा में दर्ज रकबा अनुसार नियमित कब्जा काश्त रही है।

किन्तु पैमाईश कार्मिकों द्वारा साबीक से नवीन आराजीयात का गठन करते वक्त आराजी संख्या 820 रकबा 0.26 हैक्टर भूमि तो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दी मगर आराजी संख्या 820/1072 रकबा 0.35 हैक्टर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई जिसका फायदा उठाते हुए अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा राजकीय सेवक होते हुए भी उक्त नवीन

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

खसरा संख्या 820/1072 रकबा 0.35 हैक्टर भूमि के आवंटन हेतु दिनांक 13.06.1989 को गुप चुप तरीके से आवेदन प्रस्तुत कर जरिये मिशल संख्या 230/1989 आदेश दिनांक 30.06.1989 के द्वारा अपने पक्ष में आवंटन करा लिया एवं उक्त आवंटन आदेश के आधार पर उसी दिवस को जरिये नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 01.10.1989 के द्वारा उक्त भूमि खसरा अप्रार्थी के नाम गैर–खातेदारी में दर्ज कर दिया तथा नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 01.10.1989 के द्वारा उक्त भूमि रकबा अप्रार्थी के गैर–खातेदारी से खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त भूमि रकबा क्षेत्र पर अप्रार्थी की कभी कब्जा–काश्त नहीं रही है। इन समस्त तथ्यों की जानकारी प्रार्थी को वर्ष 2020 में फसल बुवाई के दौरान मौके पर विवाद होने से जानकारी में आते ही दिनांक 15.06.2020 को राजस्व रिकार्ड नकलें प्राप्त करने पर हुई। जिससे उपरोक्त आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी मियाद कण्डोल बिन्दु के साथ सादर प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमावें तथा आवंटित आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट आवंटी/अप्रार्थी संख्या–1 कि ओर से अधिवक्ता श्री धर्मचन्द्र नागौरी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2020 को प्रस्तुत किया गया जो शामील पत्रावली है तथा प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विविध शपथ पत्र एवं लिखित बहस को भी रिकार्ड पत्रावली पर रखा गया।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष अन्तिम सूनी गई दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों एवं लिखित बहस में में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि आराजी संख्या 820/1072 रकबा 0.35 हैक्टर प्रार्थी के हक हिस्से की साबीक आराजी संख्या 639 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा का मूल भाग होकर उक्त भूमि के वक्त सेटेलमेंट नवीन आराजी संख्या 820 रकबा 0.26 हैक्टर जो कि वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है का सह भाग होकर प्रार्थी के निरन्तर कब्जे काश्त में व्याप्त है। किन्तु उक्त भूमि के वक्त सेटेलमेंट बिलानाम सरकार दर्ज कर दिये जाने से उक्त भूमि को अप्रार्थी द्वारा बिना किसी कब्जे–काश्त हक अधिकारी से अपने नाम दर्ज करा लिया गया। जबकि वक्त आवंटन आवंटी/अप्रार्थी संख्या–1 एवं उसके पिता राजकीय सेवारत् कार्मिक रहें है। जिसके प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ उक्त भूमि के निरन्तर कब्जा–काश्त के संबंध में प्रार्थी द्वारा स्थानिय निवासीयान के शपथ पत्र भी रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के अवैध आवंटन तथा खातेदारी को निरस्त फरमावें।

इसी प्रक्रम में उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में वर्णित कथनों का खण्ड़न करते हुए प्रस्तुत जवाब का हवाला देते हुए अवगत कराया कि अप्रार्थी/आवंटी को आवंटित भूमि राजकीय रिकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज रहते हुए अप्रार्थी/आवंटी की पैतृक निजी खातेदारियों से लगी हुई भूमि होने के आधार पर अप्रार्थी के विधिवत् आवेदन दिनांक 13.06.1989 के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया है तथा अप्रार्थी/आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना करने पर 10 वर्षो बाद नियमानुसार उक्त आवंटित गैर–खातेदारी भूमि को आवंटी/अप्रार्थी के नाम दिनांक 07.06.2000 को खातेदारी में दर्ज किया गया है। वक्त आवंटन अप्रार्थी किसी प्रकार से राजकीय सेवक नहीं रहा है तथा प्रार्थी द्वारा मिथ्या और भाम्रक तथ्यों के आधार पर आवंटन के 30 वर्षो बाद वर्ष 2020 में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मियाद बिन्दु एवं खातेदारी भूमि आधार पर स्वतः निरस्त योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सिरे से खारीज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किये जाने पर संज्ञान में आया की अप्रार्थी आवंटी को आवंटित भूमि आराजी संख्या 820/1072 रकबा 0.35 हैक्टर भूमि वक्त सेटेलमेंट साबिक आराजी संख्या 639 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा के विभाजन से बनी होकर राजकीय रिकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज की गई थी। किन्तु वक्त आवंटन उक्त भूमि राजकीय बिलानाम सरकार दर्ज रहते हुए अप्रार्थी के आवेदन पर

जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)

प्रकर

अप्रार्थी/आवंटी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई थी। जिसके आधार पर उक्त भूमि रकबा अप्रार्थी/आवंटी के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 01.10.1989 से गैर–खातेदारी में दर्ज रहते हुए जरिये नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 07.06.2000 के द्वारा आवंटी/अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज किया जाना दर्शित रिकार्ड है। जहां तक प्रार्थी का आरोप की अप्रार्थी/आवंटी के राजकीय सेवक रहते हुए भूमि आवंटन हुआ है के संबंध में उपलब्ध सेवा रिकार्ड अप्रार्थी/आवंटी नियमित राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथी 06.12.1999 होना जाहीर आया है जबकि आवंटी/अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन वर्ष 1989 में किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं उपलब्ध रिकार्ड से जाहीर होता है कि आवंटीत भूमि आराजी संख्या 820/1072 रकबा 0.35 हैक्टर भूमि साबिक आराजी संख्या 639 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा का सह भाग होते हुए वक्त आवंटन सेटेलमेंट टीम द्वारा नवीन राजस्व रिकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने कि स्थिति में प्रार्थी का कहीं हित प्रभावित हुआ था तो उसे उक्त कार्यवाही के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में समयबद्ध चुनौति दी जानी चाहीये थी तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध आवंटन वर्ष 1989 के 30 वर्षो पश्चात् आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने उपरान्त किया जाना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि उक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी चारा जोही करने हेतु आज भी स्वतन्त्र है। किन्तु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त अप्रमाणित त्रुटि को संपुष्ट किया जाना इस प्रकार इस स्तर पर संभव नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सिद्ध योग्य नहीं पाये जाने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को सरेईजलास सुनाया जाकर लिपिबद्व किया गया है।

जिला कलक्टर प्रतापगढ़ ★ जिला कलक्टर प्रतापगढ़ ★

(डॉ अंजलि राजोरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ